उत्तरांचल शासन
भूमि संसाधन शाखा
(राजस्व विभाग)

संख्या 78/राजस्व/2002
देहरादून: दिनांक: 01 जुलाई 2002

आदेश/विविध

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1-1951) की धारा-3 की उप धारा (25) सपठित धारा-86 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 (अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) के उपबन्धों के अनुसरण में श्री राज्यपाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम कोन्ती, पट्टी केमर, तहसील घनसाली के हेमलेट ग्राम बनगांव को पृथक राजस्व ग्राम "बणगांव" गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, किन्तु इस प्रकार इस आदेश में किसी बात का प्रभाव, किसी ऐसे न्यायालय में जो अब तक उक्त क्षेत्र के संदर्भ में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहा है, प्रारम्भ की गई अथवा विचाराधीन विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

2- इस प्रकार गठित नये राजस्व ग्राम बणगांव में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या 78(1)/राजस्व/2002, तद्दिनांक।

(1) प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित, जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उनके पत्र संख्या 564/9-74 दिनांक, नई टिहरी, 23 नवम्बर 200 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसील भवन पर तथा सम्बन्धित ग्रामों के किसी प्रमुख स्थान पर लगाने तथा प्रत्येक स्थान पर नोटिस चिपकाने की तिथि बताते हुये अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने की स्पष्ट सूचना उत्तरांचल शासन को दिनांक 01-08-02 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) प्रतिलिपि राजकीय प्रेस रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "क" में प्रकाशित करा

क्रमशः 2

कर उसकी 50-50 प्रतियाँ (हिन्दी/अंग्रेजी) शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) प्रतिलिपि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून ।

(4) मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

(5) [illegible], [illegible] उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

(शोहन लाल)

अपर सचिव।

कार्यालय तहसीलदार धनौल्टी

संख्या-मेमो/रजि०-राजस्व ग्राम निर्माण धनौल्टी दि० 17.12.2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु/प्रकाशनार्थ

1- खण्ड विकास अधिकारी [illegible] धनौल्टी

2- तहसील कार्यालय धनौल्टी

3- पटवारी [illegible]

4- सम्बन्धित ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने हेतु द्वारा पटवारी [illegible]

5- कार्यालय पत्रावली

तहसीलदार
धनौल्टी
17.12.02